

# मेन्युअल 11

## बजट विवरण – वित्तीय वर्ष 2020–21

(राशि रु. करोड़ में)

क्र.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2020–21 में विभाग हेतु अनुमोदित बजट	कृषि विभाग को आवंटित बजट	वित्तीय वर्ष 2020–21 में विभाग हेतु अनुमोदित बजट (ऊर्जा एवं कृषि)
<b>राजस्व मद</b>				
1	टैरिफ सब्सिडी –7313	400.00	-	400.00
2	निःशुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति –5855	204.60	1,095.40	1,300.00
3	मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम–2361	460.00	-	460.00
4	सरल बिजली बिल स्कीम–2362	120.00	-	120.00
5	इंदिरा गृह ज्योति योजना–5378	2,581.00	-	2,581.00
6	इंदिरा किसान ज्योति योजना–5381	8.00	4,591.40	4,599.40
	<b>योग</b>	<b>3,773.60</b>	<b>5,686.80</b>	<b>9,460.40</b>
7	स्टांप शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस में दी गई छूट की प्रतिपूर्ति–5398	-	-	-
8	व्हीलिंग सब्सिडी–7861	0.48	-	0.48
	<b>योग</b>	<b>0.48</b>	<b>-</b>	<b>0.48</b>
9	विद्युत वितरण कंपनियों को कार्यशील पूंजी हेतु ऋण– 5488	-	-	-
10	वितरण कंपनी को दिये गए ऋण को अनुदान में परिवर्तित करना–उदय योजना अन्तर्गत –0688	-	-	-
11	उदय योजना के तहत वितरण कंपनी की हानियों का अधिग्रहण–5309	480.00	-	480.00
	<b>योग</b>	<b>480.00</b>	<b>-</b>	<b>480.00</b>
	<b>कुल राजस्व</b>	<b>4,254.08</b>	<b>5,686.80</b>	<b>9,940.88</b>

बजट विवरण –वित्तीय वर्ष 2020–21

(राशि रु. करोड़ में)

क्र.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2020–21 में विभाग हेतु अनुमोदित बजट	कृषि विभाग को आवंटित बजट	वित्तीय वर्ष 2020–21 में विभाग हेतु अनुमोदित बजट (ऊर्जा एवं कृषि)
I	पावर जनरेटिंग कंपनी			
1	श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (2X660 मेगावाट) जिला खण्डवा –6323	150.00	-	150.00
2	अमरकंटक ताप विद्युत गृह विस्तार इकाई (1X250 मेगावाट) –7253	0.00	-	0.00
3	सारणी ताप विद्युत गृह विस्तार इकाई (1X660 मेगावाट) –7254	0.00	-	0.00
4	ताप विद्युत गृहों के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण हेतु बिजली बोर्ड को अन्य उधार –5336	20.00	-	20.00
5	म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी के वर्तमान विद्युत गृहों में सोलर पावर पेनल की स्थापना (95.58 मे.वा. )–5332	36.00	-	36.00
6	गााधी सागर जल विद्युत गृह – 9656	20.00	-	20.00
	<b>योग</b>	<b>226.00</b>	<b>-</b>	<b>226.00</b>

बजट विवरण –वित्तीय वर्ष 2020–21

(राशि रु. करोड़ में)

क्र.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2020–21 में विभाग हेतु अनुमोदित बजट	कृषि विभाग को आवंटित बजट	वित्तीय वर्ष 2020–21 में विभाग हेतु अनुमोदित बजट (ऊर्जा एवं कृषि)
II	पारेषण कंपनी			-
1	बाह्य पोषित परियोजना (एडीबी-3) –1284, 1949	34.57	-	34.57
2	पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण –6929	145.00	-	145.00
3	जायका –6929, 1937	105.00	-	105.00
4.	ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर बाह्य पोषित परियोजना –0700	0.00	-	0.00
	<b>योग</b>	<b>284.57</b>	<b>-</b>	<b>284.57</b>

**बजट विवरण –वित्तीय वर्ष 2020–21**

(राशि रु. करोड़ में)

क्र.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2020–21 मे विभाग हेतु अनुमोदित बजट	कृषि विभाग को आवंटित बजट	वित्तीय वर्ष 2020–21 मे विभाग हेतु अनुमोदित बजट (ऊर्जा एवं कृषि)
III	वितरण कंपनी			-
1	उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण –7900	230.00	-	230.00
2	कृषि उपयोग के लिए स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था (एडीबी) –5523	0.00	-	0.00
3	33/11 केव्ही उपकेन्द्रों एवं डी.टी.आर मीटरिंग के नवीनीकरण एवं आधुनिकरण हेतु –7255	0.00	-	0.00
4	मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप कनेक्शन योजना–0663	-	-	-
5	एकीकृत विद्युत विकास योजना (IPDS) हेतु कंपनियों का अंश– 2034	0.00	-	0.00
6	स्मार्ट मीटर एवं स्काडा –अंशपूँजी / ऋण –9654 / 9655	380.00	-	380.00
	<b>योग</b>	<b>610.00</b>	<b>-</b>	<b>610.00</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>5,374.65</b>	<b>5,686.80</b>	<b>11,061.45</b>